सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 238/2018 दायर दिनाँक 06.07.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. पप्पु यादव पुत्र श्रीकिशन यादव 2. गोपाल यादव पुत्र श्रीकिशन यादव समस्त जाति अहिर, निवासीगण—अहिरो का बास, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. श्रीकिशन यादव पुत्र रामूराम 2. ललाराम पुत्र रामूराम 3. बीरबल पुत्र लच्छाराम 4. बाबुलाल पुत्र लच्छाराम 5. लिछमादेवी बेवा लच्छाराम 6. ईशरराम पुत्र जीवणराम 7. बद्रीराम पुत्र जीवणराम 8. छोटूराम पुत्र जीवणराम जातियान अहिर निवासीगण—बहीरों का बास तहसील डीडवाना, जिला—नागौर। 9. सुभाष पुत्र भगवानाराम जाति अहीर निवासी उदयपुर, तहसील—श्रीमाधोपुर, जिला—सीकर (राज.) 10. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. रामेश्वरलाल भाकर वकील वादीगण
2. श्री विरेन्द्रसिंह वकील प्रतिवादी सं0 02, 06 ता 08

—:: निर्णय ::—

दिनाँक :— 04.02.2020

यह है कि वादीगण व प्रतिवादी श्रीकिशन पुत्र, पिता है तथा वादीगण के पिता श्रीकिशन व प्रतिवादी लालाराम सगे भाई है जिनके पिता का नाम रामूराम है। कुम्भाराम के तीन पुत्र स्व. रामूराम, जीवणराम व लच्छाराम हुए व रहे जिनमें से जीवणराम का देहान्त पहले हुआ, उसके बाद रामूराम का देहान्त हुआ व उसके बाद लच्छाराम का देहान्त हुआ। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 स्व. कुम्भाराम के पौत्र व पड़पौत्र है जो हिन्दू विधि से गवर्न होते है।

स्व. कुम्भाराम व उनके तीन पुत्रों क्रमशः जीवण्राम, रामूराम व लच्छाराम की पुश्तेनी कब्जे काश्त व खातेदारी के खेताय हाल

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

खसरा नं. 342 रकबा 29 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 346 रकबा 61 बीघा 2 बिस्वा खसरा नं.653/566 रकबा 0.18 बीघा वाके मौजा अहीरो का बास तहसील डीडवाना में रहते आये थे तथा उक्त खसरान में कुम्भाराम के फौत होन के बाद उसके तीन पुत्रों का अविभाजित बराबर 1/3–1/3,1/3 भाग हुआ, रहा व था जिनमें सभी सहकाश्तकार आपसी सहमति से अन्दाजे से सीमा बनाकर रहने लगे। खसरा नं. 342 व 346 एक ही चक के रूप में स्थित है तथा खसरा नं. 653/566 इन से दूर गांव आबादी के पास है। खसरा नं. 346 गांव सुदरासन के कटाणी रास्ता से पूर्वी तरफ स्थित है तथा खसरा नं. 342 के पश्चिमी तरफ व दक्षिणी तरफ खसरा नं. 346 की सीमा है राजस्व नक्शे की फोटो प्रति वाद के साथ पेश की जा रही है।

यह है कि प्रतिवादी बाबुलाल ने खसरा नं. 342 व 346 में अपने 1/3 अविभाजित खातेदारी में से अपना हिस्सा प्रतिवादी सुभाषचन्द पुत्र भगवानाराम को अविभाजित हस्तान्तरित किया जिससे प्रतिवादी बाबुलाल व सुभाषचन्द दोनो का उक्त खसरान में 1/3 भाग अविभाजित खातेदारी का हुआ, रहा व है शेष 1/3 हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का अविभाजित है तथा शेष 1/3 भाग प्रतिवादी बीरबल, बाबुलाल व लिछमादेवी की सहखतेदारी का अविभाजित है।

सहखातेदारान ने बिना कोई लिखित बंटवाड़े के बिना कोई मौखिक बंटवाड़े के अपनी सुविधानुसार खेतो को काश्त करना शुरू कर दिया व खसरा नम्बर 346 के पश्चिमी तरफ जीवणराम के वारीसान ईशरराम, बद्रीराम व छोटूराम तीनो ने पहले संयुक्त काश्त शुरू कर दी तथा खसरा नम्बर 346 के पश्चिमी हिस्से में दो पक्के मकान बनाकर उसके बाद उनके लड़को ने अलग अलग दो और मकान बना लिये । तब अन्य सहखातेदारान ने ऐतराज किया जो उन्होने कहा कि जब बंट करेगे तथा मकान वाली भूमि हमारे बंट में नहीं आई तो हम मकान हटा लेगे तथा खसरा नं. 346 के पूर्वी भाग में लच्छाराम के वारीसान ने काश्त करनी शुरू कर दी तथा एक पक्का मकान भी बना लिया तथा उसके पश्चिम में व जीवणराम के वारीसान के पूर्व में प्रतिवादी सुभाष ने भी निवास करना शुरू कर दिया तथा खसरा नम्बर 342 की दक्षिणी पूर्वी सीमा के पास वादीगण व वादीगण के पिता श्रीकिशन ने मकान बना लिया तथा खसरा नं. 342 के पश्चिमी भाग में प्रतिवादी संख्या 2 लालाराम ने निवास बना लिया। मगर कुम्भाराम के तीनो वारीसान ने पेमाईश कर,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

भूमाप करवा कर कोई सीमाऐ कायम नहीं की इस वजह से जीवणराम के वारीसान ने कुल भूमि का 1/3 रकबा 30.02 बीघा बंट का कानूनन होते हुऐ भी करीब 34.02 बीघा काश्त करना शुरू कर दिया तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पास केवल 29.04 बीघा भूमि काश्त में रही व शेष लच्छाराम के वारीसान के केवल 27 बीघा भमि काश्त में रही तथा खेत के बीच में से वादीगण व पक्षकारान की ढाणियों में आवागमन किया जाता रहा व होता रहा मगर स्व. जीवणराम के वारीसान ने कभी भी पूरी 34 बीघा भूमि पर अपना हक नहीं जताया व सहमति से बराबर रकबे का बंट कर देने की बातें करते रहे इसलिए लम्बे समयं तक बंटवाड़ा नहीं हुआ।

हाल ही में प्रतिवादी बाबुलाल ने एक बंटवाड़े का दावा सहायक कलक्टर डीडवाना के न्यायालय में वद संख्या 54/10 बाबुलाल बनाम श्रीकिशन अनवान का पूर्ण तथ्य प्रकट किये बिना आधे अधूरे तथ्य बंटवाड़ा व रास्ता बाबत दर्ज करते हुऐ वाद पेश किया उक्त वाद का फैसला त्रुटिपूर्वक करने से वादीगण के के पिता ने भी पृथक से अपील पेश की तब वादीगण को शक हुआ कि प्रतिवादी बाबुलाल व वादीगण के पिता, जीवणराम व लच्छाराम के वारीसान के प्रभाव में है तथा उनके प्रभाव में आकर वादीगण के हक खातेदारी व सहखातेदारी का नुकशान कर देगे तब वादीगण को उपरोक्त खसरान में उपरोक्त अनुसार हक खातेदारी बराबर 1/3–1/3 स्व. कुम्भाराम के वारीसान की घौषित करने व मौके पर पक्के निर्माणों को उनके बंट में रखते हुऐ रास्ते के पास की भूमि के भी बराबर तीन बंट करते हुऐ तथा उपजाउ जमीन के भी बराबर तीन बंट करते हुऐ बंटवाड़ा हेतु वाद पेश करना आवश्यक हुआ है व स्व. जीवणराम के वारीसान ने चार बीघा ज्यादा भूमि को अपने पास कब्जे में कर रखा है उस बाबत विधिक निर्णय कर सब को विधिनुसार बराबर बंट देकर घौषणा करवाना जरूरी हो गया इसलिए वादी को उक्त वाद प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध व अन्य सहखातेदारो के विरूद्ध पेश करना दिनांक 27.11.2017 को वादहेतुक पैदा होने से वाद घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा बंटवाड़ा हेतु पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना वादी है कि :–

खसरा नं. 342 रकबा 29 बिघा 4 बिस्वा व उसके पश्चिम में सीमा पर चिपती हुई 18 बिस्वा भूमि खसरा नं. 346 रकबा 61

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

बीघा 02 बिस्वा में से वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 व 02 की संयुक्त तन्हा बंट की घोषित की जावें तथा खसरा सं0 346 के पूर्वी भाग में से 30 बीघा 02 बिस्वा भूमि प्रतिवादी बिरबल, बाबुलाल व लिछमादेवी एवं सुभाष की अविभाजित बंट की घोषित की जावें, शेष खसरा नं0 346 की पश्चिमी रकबें में से केवल 30 बीघा 02 बिस्वा भूमि प्रतिवादी बद्रीराम, ईश्वरराम व छोटूराम की अविभाजित खातेदारी व बंट की घोषित की जावें इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवारा कर नक्शा व जमाबंदियों में इन्द्राज किया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए वाद में दिनांक 15.06.2018 को प्राथमिक डिक्रि अनुसार दावा अन्तिम डिक्रि किया गया। तत्तपश्चात दिनांक 06.07.2018 को प्रतिवादी सं0 06 की तरफ से "प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी वास्ते किये जाने अपारत एक पक्षीय निर्णय डिक्रि दिनांक 15.06.2018 का पेश किया"। साथ ही प्रतिवादी सं0 02, 06, 07, 08 की तरफ से जवाब पेश हुआ।

वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी वास्ते किये जाने अपास्त एक पक्षीय निर्णय डिक्रि दिनांक 15.06.2018 का पेश कर निवेदन किया कि वाद अभी प्रारम्भिक स्टेज पर ही है तथा उक्त खसरा नम्बरान से संबंधित बंटवारा व रास्ता बाबत निर्णय गत न्याय आपके द्वार कैम्प में दिनांक 28.06.2017 को हुआ था, जिसका राजस्व वाद सं0 2010/54 बअनुवान बाबूलाल बनाम श्रीकिशन वगै0 है। इस प्रकार एक ही वर्ष के अन्तराल में न्याय आपके द्वार कैम्प में निर्णय किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ता–फैसला प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी0पी0सी0 वास्ते किये जाने अपास्त एक पक्षीय निर्णय डिक्रि खारिज किये जाने का सादर आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी0पी0सी0 पर बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। बाद बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है।

प्रतिवादीगण का जवाब पत्रावली में पूर्व में पेश हो रखा है। वकील प्रतिवादी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं0 01 ता 08 के मध्य बंटवारा किया हुआ है। जिसका नजरी नक्शा भी बना हुआ

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 238/2018
दायर दिनाँक 06.07.2018, निर्णय दिनाँक 04.02.2020
पप्पू यादव बनाम श्रीकिशन, वगैरा।

है। उक्त नक्शे के अनुसार सभी खातेदार काबिज चले आ रहे है। उक्त नजरी नक्शा सभी की आपसी सहमति व रजामन्दी से बनाया गया है। जो पूर्व वाद श्रीमान सहायक कलक्टर महोदय डीडवाना के न्यायालय में वाद सं0 54/2010 बाबुलाल बनाम श्री किशन वगैराह में भी शामिल पत्रावली है। उसी अनुरूप सभी प्रतिवादीगण के वारिसान ने भी मौके पर मकानात बना रखे है।

वाद सं0 54/2010 का निर्णय श्रीमान के न्यायालय से हो जाने से पक्षकारान उक्त निर्णय से आबद्ध है तथा पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर वादीगण को वाद पत्र लाने का कोई हक व अधिकार नहीं होने से यह वाद पत्र इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वाद सं0 54/2010 बअनुवान बाबुलाल बनाम श्रीकिशन जो डिक्री हुआ वह रास्ता से संबंधित निर्णय था। उक्त वाद में पूर्व में हुए निर्णय अनुसार ही दावा पुनः डिक्री करने की कृपा करावें।

वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि पूर्व वाद श्रीमान सहायक कलक्टर महोदय डीडवाना के न्यायालय में वाद सं0 54/2010 बाबुलाल बनाम श्री किशन वगैराह दिनांक 28.06.2017 का निर्णित हो चुका है। उसी अनुरूप सभी प्रतिवादीगण के वारिसान ने भी मौके पर मकानात बना रखे है। वाद सं0 54/2010 का निर्णय श्रीमान के न्यायालय से हो जाने से पक्षकारान उक्त निर्णय से आबद्ध है तथा पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर वादीगण को वाद पत्र लाने का कोई हक व अधिकार नहीं होने से यह वाद पत्र इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावें।

बहस के तर्को पर मनन किया रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व वाद सं0 54/2010 बअनुवान बाबूलाल बनाम श्रीकिशन में वादी की प्रार्थना है कि "डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमावें कि वाद में वर्णित पैरा संख्या 04 के अनुसार बंटवारा वाई मिटस एण्ड बाउण्डस किया जावें तथा प्रतिवादीगण की स्थाई निषेधाज्ञा वादी की जायगा में हस्तक्षेप न करने की जारी फरमावें।" वादी ने वाद सं0 54/2010 के पैरा संख्या 04 में स्पष्ट रूप से बंटवारा का उल्लेख किया हैं तथा नजरी नक्शा अनुसूची "अ" में

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व-वाद, संख्या 238/2018
दायर दिनॉक 06.07.2018, निर्णय दिनॉक 04.02.2020
पपू यादव बनाम श्रीकिशन, वगैरा।

भी वादी ने सभी खातेदारान के अलग-अलग कब्जा काश्त दर्शाया है। उक्त वादी के निर्णय की अपील भी वर्तमान में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के यहां विचाराधीन है। वाद सं0 54/2010 का निर्णय श्रीमान के न्यायालय से हो जाने से पक्षकारान उक्त निर्णय से आबद्ध है तथा पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर वादीगण को वाद पत्र लाने का कोई हक व अधिकार नहीं होने से वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है।

आदेश

अतः वाद पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर वादीगण को वाद पत्र लाने का कोई हक व अधिकार नहीं होने से वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनॉक **04.02.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 238/2018 दायर दिनाँक 06.07.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. पप्पु यादव पुत्र श्रीकिशन यादव 2. गोपाल यादव पुत्र श्रीकिशन यादव समस्त जाति अहिर, निवासीगण–अहिरो का बास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. श्रीकिशन यादव पुत्र रामूराम 2. ललाराम पुत्र रामूराम 3. बीरबल पुत्र लच्छाराम 4. बाबुलाल पुत्र लच्छाराम 5. लिछमादेवी बेवा लच्छाराम 6. ईशरराम पुत्र जीवणराम 7. बद्रीराम पुत्र जीवणराम 8. छोटूराम पुत्र जीवणराम जातियान अहिर निवासीगण–बहीरों का बास तहसील डीडवाना, जिला–नागौर। 9. सुभाष पुत्र भगवानाराम जाति अहीर निवासी उदयपुर, तहसील–श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर (राज.) 10. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 04.02.2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रामेश्वरलाल भाकर, वकील, वादी व श्री विरेन्द्रसिंह वकील प्रतिवादीगण सं0 02, 06 ता 08 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा वाद पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर वादीगण को वाद पत्र लाने का कोई हक व अधिकार नहीं होने से वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.................
...खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 04.02.2020 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.03.03 13:48:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: